Central Para-Military Forces in the State on the ground that the State has been facing extremely difficult law & order situation for the last many years and the present financial position of the State does not permit meeting this liability. A sum of Rs. 291.60 crores is payable by the State Government to the Central Government in respect of deployment of BSF and CRPF for the period ending 31st December, 1991.

Migrants from Kahsmir

3700. DR. NAUNIHAL SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether there has been another exodus of some 15000 students from KASHMIR Valley as a result of continued killing spree and other subversive activities by the Pak inspired militants, if so the details thereof;

(b) whether some 20,000 muslims have also migrated from the Kashmir Valley to take shelter in Jammu and other parts of the country, if so the details thereof;

(c) what steps Government have taken to rehabilitate the students and muslims migrants; and

(d) wheher Government have taken any steps to stop or discourage further migration of people from the Valley, if so the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT) : (a) to (d) While there are no reports of an exodus of students from the Kashmir Valley, it is true that a large number of students from Kashmir Valley are pursuing their studies in other parts of the country, including those who may have gone out on account of the prevailing terrorist violence in the State. It is, however, not possible to give the precise number of such students.

No migration of Muslims from the Valley as indicated in the Question has been reported to the Government.

Sustained efforts are being made to improve the security environment in the State, by containing militancy and to create conditions conducive for the return of the migrants who are staying outside the State.

Visits of Ministers to Bhopal

3701. SHRI KAILASH NARAIN SARANG : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) what are the names of union Ministers who visited various cities of Madhya Pradesh including Bhopal, Ujjain and Jabalpur after the occurance communal riots in Madhya Pradesh after 6th December. 1992;

(b) what are the details regarding the names of ministers alongwith dates and the names of cities which they visited;

(c) what are the details regarding the programmes in which these ministers participated alongwith the names of persons or organisations or groups organising these programmes; and

(d) what was the content of speeches made by these ministers in public functions or in various meetings, during their visits of these cities of Madhya Pradesh ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED) : (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

अयोध्या की घटना के बाद गिराये गये मंदिर

3702. **श्री राम नरेश यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अयोध्या में गत तीन वर्षों के दौरान कितने मन्दिर गिराये गये हैं ;

(ख) मन्दिरों के गिराये जाने के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराने के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के नाम क्या हैं और इस विवाद को स्थायी रूप से हल करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सरकार ने 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या में हुई घटनाओं से सम्बन्धित मामलों की जांच करने के प्रयोजन के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक, एक-संसदीय जांच आयोग गठित किया है। आयोग के विचारार्थ विषयों में 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या में राम जन्म-भूमि--बाबरी मस्जिद परिसर में घटी घटनाओं जिसमें रामजन्म - भूमि बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराया गया था, से सम्बन्धित परिस्थितियों और सभी तथ्यों और इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी घटनाक्रमों की जांच करना सम्मिलित है। 6 दिसम्बर, 1992 को विवादास्पद राम जन्म-भूमि--बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराने से सम्बन्धित कुछेक अपराधों और इससे सम्बन्धित घटनाओं की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है।

भारत के राष्ट्रपति ने 7 जनवरी, 1993 को "अयोध्या में कुछ एक क्षेत्र का अधिग्रहण अध्यादेश, 1993" (1993 का 8) प्राख्यापित किया जिसके द्वारा वह क्षेत्र जिसमें राम जन्म-भूमि--बाबरी मस्जिद ढांचा खड़ा है और उसके आस-पास के उपयुक्त क्षेत्र का अधिकार, स्वत्वाधिकार और स्वामित्व केन्द्र सरकार को हस्तान्तरित और प्राप्त हो गए हैं। सरकार ने यह निर्णय घोषित किया है कि उस क्षेत्र को छोड़कर जिस पर विवादित ढांचा खड़ा था, अधिग्रहीत, क्षेत्र को दो न्यासों को उपलब्ध कराया जाएगा जिन्हें क्रमशः एक राम मन्दिर और एक मस्जिद का निर्माण करने और क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए गठित किया जाएगा।

जिस क्षेत्र में विवादित ढांचा खड़ा है उस क्षेत्र के बारे में राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करने और अपना मत देने के लिए लिखा है :—

> "जिस क्षेत्र में ढांचा खड़ा था वहां पर राम जन्म-भूमि--बाबरी मस्जिद (इस प्रकार के ढांचे के आन्तरिक और बाहरी आंगन के परिसरों सहित) के निर्माण से पहले क्या कोई हिन्दू मन्दिर या कोई हिन्दू धार्मिक ढांचा विद्यमान था।"

उपरोक्त संदर्भ में यह भी कहा गया है कि केन्द्र सरकार उच्चतम न्यायालय का मत प्राप्त करने के बाद और तथाकथित मत के अनुरूप विवाद को हल करना चाहती है।

मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

3703. **श्री नारायण प्रसाद गुप्ता** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों को राज्य स्तरीय सम्मान निधि से, जिसमें भोपाल विलीनीकरण आंदोलन और गोवा आंदोलन के सैनिक भी आते हैं, दी जा रही मासिक सम्मान राशि का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या यह सच है कि राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री सुन्दर लाल पटवा ने 15 अगस्त, 1992 को उक्त राशि में 100 रुपए प्रति माह की वृद्धि की घोषणा की थी और क्या उसे लागू कर दिया गया है,

(ग) क्या यह सच है कि पाड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में 500 रुपये प्रति माह सम्मान राशि दी जा रही है, और